

## मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्र-परिषद के नरिणय

### चर्चा में क्यों

14 जून, 2023 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में 'मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति, 2023' के अनुमोदन सहति कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

### परमुख बढि

- मंत्र-परिषद ने वदियार्थियों को प्रोत्साहति करने के लयि नवीन योजना अंतरगत प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमकि वदियालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान करने का नरिणय लयि है।
  - अगर एक से ज्यादा वदियार्थियों के सर्वाधिक अंक हैं तो उन सभी को योजना का लाभ मलिया।
  - जनि कषेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर स्कूटी प्रदाय की जाएगी।
  - योजना से लगभग 9 हज़ार वदियार्थी लाभान्वति होंगे।
  - वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के क्रयान्वयन के लयि 135 करोड़ रुपए का प्रावधान कयिा गया है।
  - उल्लेखनीय है कि वदियार्थियों को वदियालयों तक पहुँचने की सुवधि बढाने तथा नरिभरता कम करने, उच्च शकिषा के लयि प्रोत्साहति करने, आत्म-वशिवास जागृत करने के लयि नवीन योजना का प्रावधान कयिा गया है।
- मंत्र-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप अनुसूचति जाति कल्याण वभिाग द्वारा 15 अप्रैल, 2023 को जारी आदेश 'अनुसूचति जाति एवं जनजाति वर्ग के वदियार्थियों को छात्रवृत्ति के लयि आय सीमा 6 लाख से बढाकर 8 लाख रुपए कयि जाने और अनुसूचति जाति एवं जनजाति वर्ग के वदियार्थियों को वदिश अध्ययन छात्रवृत्तिमानवकि वषियों के लयि भी दयि जाने का अनुसमर्थन कयिा।
  - साथ ही अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचति जनजाति वर्ग के वदियार्थियों की पोस्ट मैट्रकि छात्रवृत्ति की वार्षकि आय सीमा 8 लाख रुपए कयि जाने की सहमति प्रदान की गई।
  - उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य वभिाग द्वारा शासकीय एवं शासकीय वति त पोषति शैक्षणकि संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचति जनजाति के वदियार्थियों के लयि आय सीमा का बंधन समाप्त कयिा गया है। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचति जाति एवं जनजाति वर्ग के वदियार्थियों को शकिषा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- मंत्र-परिषद ने 'मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति, 2023' का अनुमोदन करते हुए समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर क्रयान्वति करने के लयि सहकारिता वभिाग को अधिकृत कयिा है।
  - यह सहकारिता नीति राज्ज में सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने की दशिा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
  - सहकारिता के माध्यम से नवीन कषेत्रों में समतियाँ गठति होंगी और रोज़गार के अवसर नरिमति होंगे।
  - राज्ज के सहकारिता कानून में भी आवश्यकतानुसार बदलाव कयिा जाएगा और सहकारिता की आंतरकि एवं संरचनात्मक कमयियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग कयिा जाएगा।
  - सहकारी नीति में कृषि साख, शहरी साख, सहकारी वपिणन, सहकारी आवास, उपभोत्ता सहकारिता, सहकारी बीज उत्पादन एवं वपिणन, लघु वनोपज सहकारी समतियाँ, डेयरी सहकारिता, सहकारी मत्स्य पालन आदि परमुख कषेत्र शामिल हैं।
- मंत्र-परिषद ने 600 मेगावॉट क्षमता की ऑकारेश्वर फ्लोटगि सोलर परयोजना को राज्ज शासन की भुगतान सुरक्षा गारंटी तथा उसके प्रारूप को सहमति प्रदान की है।
  - उल्लेखनीय है कि निर्मदा नदी के ऑकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावॉट क्षमता की फ्लोटगि सोलर परयोजना का नरिमाण 2 चरण में कयिा जा रहा है।
  - ऑकारेश्वर फ्लोटगि सोलर परयोजना देश तथा वशि्व की सबसे बड़ी फ्लोटगि सोलर परयोजनाओं में से एक होगी।
  - ऑकारेश्वर परयोजना देश की बहुउद्देश्यी परयोजनाओं में से एक है, जहाँ सचिाई, जल वदियुत् उत्पादन के साथ अब सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा एवं पर्यटन को भी बढावा मलिया।
- मंत्र-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन वभिाग अंतरगत अटल बहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप 'मुख्यमंत्री यूथ इंटरनशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम' (CMYIPDP) में संशोधन की स्वीकृति दी है।
  - CMYIPDP प्रोग्राम में इंटरन का मानदेय 8 हज़ार रुपए से बढाकर 10 हज़ार रुपए प्रतिमाह कयिा जाएगा। इंटरन की नयिकृति अब ब्लॉक स्तर के साथ पंचायत स्तर पर की जाएगी।
- मंत्र-परिषद ने जनजातीय कार्य वभिाग अंतरगत सी.एम. राइज योजनांतरगत 11 उच्चतर माध्यमकि शाला भवनों के नरिमाण कार्यों के लयि 338 करोड़ 83 लाख 6 हज़ार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
- उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य वभिाग में प्रथम चरण में 95 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में चयनति कयिा गया है। इसमें से धार, मंडला,

झाबुआ, बैतूल, अलीराजपुर, खरगोन और रतलाम ज़िलों में कुल 11 स्कूल के लिये भवन निर्माण का कार्य किया जाना है।

- मंत्रपरिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जल नगिम के माध्यम से क्रयान्वयन के लिये 2 पुनरीक्षण समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 2,002 करोड़ 62 लाख रुपए तथा 29 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 15,995 करोड़ 98 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।

